

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/प्रारं/शिक्षक-संस्था/एफ.2/प्र.नि./निर्देश/2016

दिनांक 21/5/16

समस्त उपनिदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा

अत्यावश्यक

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा,

विषय:-मतदाता सूचियों में शुद्धिकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान 2016 बूथ लेवल
अधिकारी के पद पर नियुक्त शिक्षकों के संबंध में।

प्रसंग:-भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 23/2016-ईआरएस दिनांक 27.02.16
एवं कार्यवाक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,जयपुर के प3(2)(1)रोल/निर्वा/2015
/पार्ट II/NERP/1869 दिनांक 10.5.11 के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान 2016 का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु फील्ड स्तर पर बूथ लेवल अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में लगभग 70-75 प्रतिशत बूथ लेवल अधिकारी शिक्षकों में से है, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1960 की धारा 13(बी) के अन्तर्गत नियुक्त है।

अभियान की अवधि में (ग्रीष्मावकाश) माह-मई-जून में राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक अवकाश रहेगा जबकि यह कार्यक्रम जारी रहेगा। ऐसे बूथ लेवल अधिकारी शिक्षक जो स्वेच्छिक रूप से अवकाश अवधि में अभियान के अन्तर्गत कार्य किया है, उन्हें ग्रीष्मावकाश अवधि (माह मई-जून) में अवकाश के बदले कार्य करने के लिए राजस्थान सेवा नियम 92(बी) के अन्तर्गत ग्रीष्मावकाश एवं शीलकालीन अवकाश के दिनों में अध्यापकों द्वारा राज्यकीय कार्य करने पर उनका उपाार्जित अवकाश देने का नियम में स्पष्ट प्रावधान है। उपाार्जित अवकाश की स्वीकृति बीएलओं को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर इस अवकाश में किए गए कार्य दिवसों के बदले की जावेगी। तदनुसार कार्यवाही अमल में लायी जाय।

(जगदीश चन्द्र पुरोहित)
I.A.S.

निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- शासन सचिव, माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर को डायरी सं. एस 3688 दिनांक 12.5.16 के संबंध में।
- कार्यवाक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को प्रासांगिक पत्र के संबंध में।
- निजी सचिव, निदेशक को शासन सचिव, माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर को डायरी सं. एस 3688 दिनांक 12.5.16 के संबंध में।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित है

GM
22/6/16
DEO Bk
Ngr

निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर